

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चौपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु० बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी।


परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण प्रमाण-पत्र।

क्र० सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेकॉर्ट में)
1	आरक्षित वन भूमि			
2	वन पंचायत भूमि	500	7	0.350
3	अन्य श्रेणी की वनभूमि (यदि लागू हो)	-	-	-
	वनभूमि का योग			0.350
4	नाप भूमि	1550	7	1.0850
5	मलवा निस्तारण हेतु नापभूमि			0.0900
	नाप भूमि का योग	1550	7	1.1750
	कुल योग	2050	7	1.5250


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


उप वन दारकान
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपड़ा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु० बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी।

NOT TO SCALE

वारचार्ट



किमी। चैनेज	भूमि का प्रकार	लम्बाई	गांव का नाम
Ch. 0.000 to 0.375	नापभूमि जरम्वाड	375 मीटर	जरम्वाड
Ch. 0.375 to 0.875	सिक्किम वन वन पंचायत जरम्वाड	500 मीटर	जरम्वाड
Ch. 0.875 to 2.050	नापभूमि बैंजी काण्डई	1175 मीटर	बैंजी काण्डई

संकेत तालिका

आरक्षित वन भूमि	हरा	0.000 है०
सिक्किम वन पंचायत भूमि	पीला	0.350 है०
नाप भूमि	अन्य/भूरा	1.0850 है०
मलवा निस्तारण हेतु नाप भूमि	सफेद/अन्य	0.0900 है०
मक डिस्पोजल स्थान	काला	○

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

उप वन सरदार
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्बाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु० बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी।


कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशास्री अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


वन शेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग


उपाधीय वनाधिकारी
रुद्रप्रलद्धप्रयाग का प्रभाग
रुद्रप्रयाग